रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1994/माघ 19, 1915
No. 28] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1994/MAGHA 19, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 194/(पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1994

फाइल सं. 3/339/92-ई. पी. सी.:—निर्यात एवं आयात नीति, 1992—97 (संशोधित संस्करण : मार्च 93) के पैरा 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 1992–97 (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते है:—

(1) अध्याय 7, के पैरा 126 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा:—

"126 बैंक गारंटी/वित्तिक वचन पत्र की विमुक्ति निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर की होगी:—

(1) परिशिष्ट 24 के प्रपत्र में बैंक का वसूली प्रमाणपत्र या परिशिष्ट 18 के प्रपत्र में परियोजना प्राधिकारी का प्रमाणपत्र; और

(2) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् पृष्ठांकित एवं हस्तांतरित आयात एवं निर्यात के ब्यौरे वाली डी ई. ई. सी. लाइसेंसधारक द्वारा स्वघोषित विवरण, वास्तव में किए गए आयात और निर्यात का ब्यौरा दर्शाने वाला सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् सत्यापित विवरण और आवेदक द्वारा यह घोषणा कि:—

(क) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के मामले में, निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किए गए किसी भी निवेश के सम्बन्ध में यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191 क या 191 ख का लाभ नहीं उठाया गया हो और निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किए गए किसी भी निवेश के सम्बन्ध में उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 56 क या 57 क के अधीन निवेश स्तर पर ऋण का दावा या अर्जन न किया गया हो ।

(ख) मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस के मामले में उक्त लाइसेंस के मद्दे अनुमति निवेशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191 क या 191 ख का लाभ नहीं उठाया गया हो ।

यदि बाद में कोई मिथ्या निरूपण गलत बयानी या भुगतान करने में चूक पायी जाती है तो बैंक गारंटी/विधिक बचन पत्र की विमुक्ति सीमाशुल्क प्राधिकारी को लाइसेंसधारक के विरूद्ध कार्रवाई करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी ।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 194 (PN)/92—97

New Delhi, the 8th February, 1994

F. No. 3/339/92-EPC.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy 1992—97 (Revised Edition : March 93) the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedure, 1992—97 (Vol-I) :—

(1) In Chapter VII, the paragraph 126 shall be substituted by the following :—

"126. Bank Guarantee/LUT may be redeemed on submission of the following documents :—

(i) Realisation certificate from the bank in format at Appendix XXIV or payment certificate from the project authority in format at Appendix XVIII ; and

(ii) DEEC containing details of imports and exports duly endorsed and signed by the Customs authorities, self declaration statement by the licence holder, statement duly certified by a chartered accountant showing details of actual imports and exports made, declaration by the applicant stating that —

(a) in case of Value Based Advance Licence, the benefit of rule 191A or 191B of Central Excise Rules, 1944 has not been availed in respect of any of the inputs used in the manufacture of export product and no input stage credit under rule 56A or 57A of said Central Excise Rules has been claimed or availed in respect of any of the inputs used in the manufacture of export product.

(b) in case of Quantity Based Advance Licence, the benefit of rule 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of in respect of inputs permitted against the said licence.

Redemption of Bank Guarantee/LUT shall not preclude the Customs authority from taking action against the licence holder for any misrepresentation, misdeclaration and default detected subsequently."

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994